हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष
2024-25

विषय सूची

अध्याय		विषय	पृष्ठ
1.		**संरचना, प्रशासन, प्रमुख उपलब्धियां तथा कार्यविधि**	**1–9**
2.		**प्रदेश में कृषि की भूमिका, उपलब्धियां तथा लक्ष्य**	**10–13**
	2.1	भूमिका/ भूमि उपयोग/ओपरेशनल जोतों तथा क्षेत्र का तालिका वद्ध बंटवारा/खाद्यान्न उत्पादन/नकदी फसलों का उत्पादन	10–11
	2.2	उर्वरक का वितरण { तत्वों के रूप में}	12
	2.3	मिटटी परीक्षण केन्द्र	12
	2.4	अधिक उपज देने वाली किस्में	13
	2.5	पौध संरक्षण	13
3.		**वाणिज्य फसलें**	**14–15**
	3.1	आलू	14
	3.2-3.3	सब्जियां / अदरक	15
4.		**राज्य प्रायोजित योजनायें**	**16–21**
	4.1	मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना	16–18
	4.2	मुख्यमन्त्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना	18
	4.3	फसल विविधिकरण योजना (जायिका ओ0डी0ए0)	19
	4.4	प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना	19–20
	4.5	राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम	20
	4.6	जल से कृषि को बल योजना	20
	4.7	प्रवाह सिंचाई योजना	20–21
	4.8	मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना	21
	4.9	पोषक अनाज संवर्धन योजना	21
5.		**केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें**	**22–29**
	5.1	आर0 के0 वी0 वाइ0–केफिटेरिया	23–25
	5.2	कृषोन्नति योजना	25–27
	5.3	प्रधानमन्त्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना" (पी.एम.कुसुम योजना)	27–28
	5.4	फसल बीमा योजना	28
	5.5	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	28–29
6.		**अन्य कार्यक्रम**	**30–30**
	6.1	कृषि सूचना सेवा	30
	6.2	गुणवत्ता नियंत्रण	30
	6.3	फसल अनुमान सर्वेक्षण	30
7.		**वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां :–**	**31–33**
		वित्तीय उपलब्धियां	31
		भौतिक उपलब्धियां	32
		वर्ष 2021–22, 2022–23 व 2023–2024 के दौरान फसलवार/मौसम के अनुसार फसल का कुल उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियां।	33
8.		विभाग का संरचनात्मक ढांचा	34

अध्याय–1

संरचना, प्रशासन तथा कार्यविधिः–

कृषि विभाग, वर्ष 2024–2025 में माननीय कृषि मंत्री श्री चंद्र कुमार की अनुपम देखरेख में प्रगति पर अग्रसर रहा। विभिन्न स्तर पर जो अधिकारी इस वित्तीय वर्ष में कृषि विभाग में कार्यरत रहे, उनका ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

सचिवालय स्तरः–

1. श्री सी0 पालरासु सचिव {कृषि}।
2. श्री जोगी राम अत्री, उप सचिव {कृषि}।
3. श्री दलीप सिंह, अनुभाग अधिकारी {कृषि}।
4. श्रीमती दीपशीखा, अनुभाग अधिकारी {कृषि}।

निदेशालय स्तरः–

1. श्रीमती कुमद सिंह, कृषि निदेशक, हि0प्र0।
2. श्री जीत सिंह, अतिरिक्त कृषि निदेशक, हि0प्र0।
3. श्री सुरेश शर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक, हि0प्र0।
4. श्री अतुल डोगरा, संयुक्त कृषि निदेशक, हि0प्र0।
5. श्री रविन्दर सिंह चौहान, संयुक्त कृषि निदेशक, हि0प्र0।
6. श्री समीर शर्मा, उप कृषि निदेशक, {आलू व विपणन} हि0प्र0।
7. श्री संतोष गुप्ता, सब्जी विशेषज्ञ, व कृषि सॉख्यिकीय अधिकारी, हि0प्र0।
8. श्रीमती रीता शर्मा, पौध संरक्षण अधिकारी, कृषि निदेशालय, हि0प्र0।
9. श्री संजीव कुमार, कृषि सूचना अधिकारी, कृषि निदेशालय, हि0प्र0।

वर्ष 2024–25 की प्रमुख उपलब्धियां

- वर्ष 2024–25 में फसल विविधीकरण द्वारा प्रदेश की आर्थिकी सुधारने हेतु लगभग 757 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नगदी फसलों के अंतर्गत लाया गया।

- वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 1522 किसान लाभान्वित किये गए इन्हें बंदरों, जंगली जानवरों व् आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग प्रदान की गयी।

- प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 49741 किसानो को प्रशिक्षित करके 6287 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत लाया गया।

- प्राकृतिक खेती विधि से उत्पादित 3989 क्विंटल मक्का को सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मु0 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा गया।

- वर्ष 2024–25 के दौरान तीन फार्मों को मॉडल फार्मों के रुप में विकसित किया गयाः–
  - सब्जी गुणन फार्म, भट्टू, जिला कांगड़ा
  - बीज गुणन फार्म भगानी, जिला सिरमौर
  - सब्जी विकास स्टेशन, बैरटी और बोच, जिला सोलन

- राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 31,869 किसानों को कृषि उपकरण प्रदान किये गए।

- वर्ष 2024–25 में फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में 1,06,580 किसान तथा रबी मैासम में 1,06,669 किसानों का बीमा किया गया तथा खरीफ मौसम 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 30842 किसानों को मु0 6.41 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया।

संगठनात्मक ढाँचाः–

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश का मुख्यालय शिमला में स्थित है जिसके विभागाध्यक्ष कृषि निदेशक हैं। निदेशक को कार्य संचालन हेतु अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदेशक का सहयोग प्राप्त होता है। उतरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की गई है जिनका कार्यालय कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित है। यह अधिकारी कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर और मंडी जिलों की गतिविधियों की देखरेख करते हैं। प्रत्येक जिले में {लाहौल–स्पिति और किन्नौर जिलों को छोड़कर} उप–निदेशक (कृषि) जिले के कृषि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। लाहौल व किन्नौर जिले में जिला कृषि अधिकारी, स्पिति में सहायक परियोजना अधिकारी {कृषि}, काजा में कृषि संबंधी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। जिले में उप–निदेशक को जिला कृषि अधिकारी, क्षेत्रीय आलू विकास अधिकारियों और विषयवाद विशेषज्ञों द्वारा कार्यों में सहायता प्रदान की जाती है।

प्रत्येक विकास खण्ड में विषयवाद विशेषज्ञ, दो कृषि विकास अधिकारी और 4 से 6 कृषि प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनका कार्य विकास खंडों में कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों हेतु 22 उपमंडलों का सृजन किया गया है और इनमें उपमंडलीय भू–संरक्षण अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये उपमंडल, मंडलीय मुख्यालयों शिमला, भंगरोटू और पालमपुर से जुडे हैं। इनका प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण संबंधित ज़िला के कृषि उप–निदेशक के पास होता है जबकि तकनीकी नियंत्रण मंडलीय अभियंता के पास है।

कृषि विभाग द्वारा शिमला के मशोबरा में स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र को राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1971 में सुंदरनगर व वर्ष 2016 में धर्मशाला में कृषक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इन संस्थानों में कृषकों के साथ–2 कृषि विकास अधिकारियों, कृषि प्रसार अधिकारियों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लाहौल–स्पिति जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले में मृदा परीक्षण अधिकारियों के नेतृत्व में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी चलाई जा रही हैं। विभाग का संरचनात्मक ढांचा पृष्ठ 34 पर दर्शाया गया है। उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2024–2025 में कृषि विभाग की स्टाफ व्यवस्था निम्नलिखित हैः–

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या
प्रथम	507	331	176
द्वितीय	30	11	19
तृतीय	1665	721	944
चतुर्थ	781	303	478
कुल	**2983**	**1366**	**1617**

निदेशालय स्तर पर सुचारू रूप से काम को निपटाने हेतु 10 शाखायें कार्यरत हैं, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

शाखा का नाम

1. स्थापना शाखा, 2. तकनीकी शाखा, 3. बिल एवं कैश, 4. लेखा/ऑडिट, 5. बजट शाखा, 6. आलू एवं विपणन शाखा, 7. योजना शाखा, 8. भू–संरक्षण शाखा, 9. विधि शाखा, 10 परियोजना प्रबंधन इकाई ।

स्थिति एवं सीमाः–

हिमाचल प्रदेश 30^0 22’ 40” और 33^0 12’ 20” के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जबकि पूर्व में यह 75^0 45’ 55” और 79^0 04’ 20” के पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। इसकी उतरी सीमा जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है जबकि दक्षिण में यह पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ सटा हुआ है। दक्षिण–पूर्व में इसकी सीमा उतराखंड और पूर्व में तिब्बत के साथ लगती है। इसे चार कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ।

1. शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र { उप–ऊष्ण, उप पर्वतीय एवं निम्नपर्वतीय क्षेत्र}

इस खण्ड में निचली पहाड़ी की घाटियां आती हैं । ये समुद्रतल से केवल 240 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं तथा यहां की जलवायु उप–ऊष्ण है। इन क्षेत्रों के तहत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत व कुल कृषि भूमि का 33 प्रतिशत भाग आता है। गेहूं, मक्का, धान, काले चने, गन्ना, सरसों, आलू, सब्जियां, दालें और जौ इत्यादि इस खण्ड की महत्वपूर्ण फसलें हैं ।

2. मध्य पर्वतीय क्षेत्र {सम शीतोष्ण, समआर्द्र मध्य पर्वतीय क्षेत्र }

इस खण्ड में समुद्र तल से 1001 मीटर से 1500 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। यहां की जलवायु समशीतोष्ण है। इसके अन्तर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32 प्रतिशत व कुल कृषि भूमि का 53 प्रतिशत भाग आता है। इन क्षेत्रों में उगने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, धान, काले चने,

जौ, फ्रांसवीन दालें व चारा फसलें हैं। इन क्षेत्रों में नकदी फसल जैसे कि बेमौसमी सब्जियां अदरक तथा फूलगोभी और जड़ वाली फसलों जैसी शीतोष्ण सब्जियों के बीज उत्पादन की यहां पर अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

3. उच्च पर्वतीय क्षेत्र {आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र}

ये समुद्रतल से 1501 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाला आर्द्र क्षेत्र है। सामान्यतः इन क्षेत्रों में गेहूं, जौ, चौलाई, मक्का, धान और आलू इत्यादि फसलों की खेती की जाती है । ये क्षेत्र बीज आलू व शीतोष्ण सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं ।

4. उच्च पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण, खंड

यह 2501 मीटर से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र जहां ज्यादातर बर्फ पड़ती है। इस क्षेत्र में मुख्यत गेहूं, कुट्टू, जौ मोटे अनाज व काला जीरा की फसल होती है।

कृषि से संबंधित मुख्य समस्यायें :–

- कठिन भौगोलिक और जलवायु कारकों के कारण भूसंरक्षण की समस्या तथा भू संसाधनों पर अजैविक दबाव।
- 80.23 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा जल पर आधारित है। इसके कारण सिंचित क्षेत्रों की तुलना में, इन क्षेत्रों में उन्नत तकनीक व आदानों को अपनाने वाले कृषकों की संख्या काफी कम है।
- लघु एवं बिखरी कृषि जोतों (Small & Scattered Agriculture Holdings) {88.86 प्रतिशत कृषक लघु एवं मध्यम श्रेणी का} का होना।
- प्राकृतिक आपदाओं जैसे – सूखा, बादल फटना, ओले गिरना, भारी वर्षा, तूफान आने तथा तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि होने की घटनाएं निरंतर घट रही हैं जिससे फसलों को भारी क्षति पहुंचती है।
- ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, विपणन, ग्रेडिंग और पैकिंग आदि जैसी कृषि विपणन की सुविधाओं के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी।
- कृषकों में जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव और उनकी कम क्रय शक्ति।
- सीमित कृषि मशीनीकरण।
- आवारा पशुओं एवं बंदरों से फसलों को खतरा।

कृषि विकास के लिए दृष्टिकोणः

कृषि क्षेत्र में विद्यमान बाधाओं और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा किसानों के आर्थिक उत्थान की प्रतिबद्धता को देखते हुए कृषि विभाग ने इसके लिए रणनीति तैयार की है, जिसमें बेमौसमी सब्जियों, सब्जी

बीज, आलू, अदरक के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ–2 विभाग मक्का, चावल और गेहूं जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है।

<u>विशेष प्राथमिकताऐंः–</u>

1. परम्परागत फसलों का वाणिज्यिक फसलों में विविधिकरण ।

2. फसल कटाई उपरान्त प्रबन्धन व कुशल विपणन प्रणाली।

3. कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा ।

4. उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि ।

5. मृदा परीक्षण व मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से समन्वित तत्व प्रवन्धन ।

6. जल संचयन व संरक्षण ।

7. बीज विकास एवं संवर्धन ।

8. मुख्य फसलों का बीमा ।

9.प्राकृतिक खेती को बढ़ावा ।

10.खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन करना।

11.कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग ।

12.सार्वजनिक व निजी साझेदारी के माध्यम से विस्तार सुधार।

13.कृषि क्षेत्र में नई सम्भावनाएं जैसे हींग, केसर, दालचीनी इत्यादि को बढावा देना।

प्रोत्साहन/सहायताः–

किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कई तरह के प्रोत्साहन/सहायता प्रदान की जाती है।

क}

1. प्रमाणित गेहूं बीज पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 15/–रू0 प्रति किलोग्राम की सहायता।
2. धान की अधिक उपज वाली सामान्य किस्मों पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 20/–रू0 प्रति किलोग्राम। संकर प्रजातियों पर 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता ।
3. संकर मक्की बीज पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 40/–रू0 प्रति किलोग्राम का उपदान ।
4. गेहूं की फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु 500/–रू0 प्रति हैक्टेयर या 50 प्रतिशत की सहायता पर जो भी कम हो।
5. दालों/तिलहन के आधारित प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 50/–रू0 प्रति किलोग्राम की सहायता।

ख.}

मिश्रित उर्वरकों एन.पी.के 12:32:16, 10:26:26 एवं एन.पी.के 15:15:15 पर 1000/–रू0 प्रति मीट्रिक टन का अनुदान दिया जा रहा है ।

ग}

प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत प्रीमियम की दर किसानों के लिए बीमित राशि के अनुसार खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत व रबी मौसम के लिए 1.5 प्रतिशत रखी गई है तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना में अधिकतम 5 प्रतिशत रखी है। यदि प्रीमियम दर इससे अधिक होती है तो वह केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है।

घ}

मृदा परीक्षण निःशुल्क किया जाता है ।

ङ}

किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था :–

प्रदेश में कृषकों को उन्नत किस्मों का प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था, कार्य कर रही है। यह संस्था मुख्यतः आलू, मटर, गेहूं, सब्जी व माश आदि के बीजों का प्रमाणीकरण करती है।

भू0 एवं जल संरक्षणः–

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां घाटी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक खेती की जाती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ढलानदार होने की बजह से अधिकतर खेत ढलानदार है। जिसके कारण अधिकतर वर्षा जल नदी नालों से बह जाता है तथा अपने साथ सैंकड़ों टन उपजाऊ मिट्‌टी भी बहा कर ले जाता है। जिसकी वजह से जहां एक ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है वहीं दूसरी ओर मौनसून के सीमित समय को छोड़कर वर्ष भर अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे की स्थिति बनी रहती है तथा फसलों की उत्पादकता में वांछित वृद्धि नहीं हो पाती। वर्षा के जल के संचय व भूमि में नमी बनाये रखने के लिये तथा और अधिक वर्षा द्वारा उपजाऊ मिट्‌टी का कटाव रोकने के लिये भू0 एवं जल संरक्षण का विशेष महत्व है। प्रदेश में कृषि भूमि पर कृषि विभाग तथा वन भूमि पर वन विभाग आवश्यक भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं।

बरसात के दिनों में नदी–नालों में अत्याधिक पानी के बहाव से नदी–नालों के किनारों के साथ की कृषि योग्य भूमि भी पानी के साथ बह जाती है। नदी–नालों के तटों के साथ लगने वाली इस भूमि को बचाने के लिये सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता से चैक डेम, तारों का जाल, रिटेनिंगवाल, स्पर और हैडवाल इत्यादि बनाये जाते हैं।

कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिये सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिये हर वर्ष अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयत्न किये जा रहें हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक जल स्त्रोतों से पानी का भण्डारण करने के लिये सामूहिक तौर पर तालाबों के निर्माण अथवा सामूहिक बहाव सिंचाई योजनाओं हेतु शत–प्रतिशत सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्डः–

मार्किटिंग की सुविधा हर किसान के घर–द्वार पहुंचे इसके लिए जगह–जगह छोटे सब्जी संग्रहण केन्द्र व मार्किट यार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि विपणन कार्य हेतु कृषि विपणन बोर्ड राज्य स्तर पर बनाया गया है जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर कुल 10 मण्डियाँ कार्यरत हैं तथा 61 उप मण्डियाँ वर्तमान में किसानों को विपणन सुविधा प्रदान कर रही हैं। वर्तमान सरकार मण्डियों व कोल्ड स्टोर के माध्यम से विपणन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में अभी तक ई–पोर्टल के अंतर्गत 26 मण्डियाँ कार्यरत है इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर मण्डियों के निर्माण व अन्य खर्चों हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

अध्याय–2

प्रदेश में कृषि की भूमिका, उपलब्धियां तथा लक्ष्य

2.1 भूमिका :–

हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र कुल जनसंख्या के लगभग 53.95 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 के अनुसार राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्रों का लगभग 14.70 प्रतिशत योगदान है। कृषि विभाग के अथक प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते गत वर्षों में फसलों के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है। सरकार की कृषि के अनुकूल नीतियां व बुनियादी ढांचे के विकास से कृषि में विविधिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप यहां के किसानों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। हालांकि अपर्याप्त भूमि संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या के बोझ का कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्रों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से कुल आपरेशनल जोतों का क्षेत्र 9.44 लाख हैक्टेयर है तथा 9.97 लाख किसान इस भूमि के मालिक हैं। औसतन जोत का आकार 0.95 हैक्टेयर है। सांख्यिकी सारांश हिमाचल प्रदेश 2023–24 के अनुसार वर्तमान भूमि उपयोग व आपरेशनल जोतों की संख्या निम्नलिखित हैं :–

वर्तमान भूमि उपयोगः–

क्र0सं0	वर्गीकरण	क्षेत्र हैक्टेयर में	कुल प्रतिशतता
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्र		
अ	व्यवसायिक सर्वेक्षण द्वारा	55,67,300	–
ब	ग्राम सर्वेक्षण द्वारा	45,78,023	–
2.	वन	11,44,343	20.55
3.	बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि	7,70,877	13.85
4.	गैर कृषि कार्यो के लिए आरक्षित भूमि	3,61,686	6.50
5.	स्थाई चरागाह एवं अन्य चरागाह भूमि	14,58,486	26.20
6.	विविध कृषि वन फसलों के तहत भूमि	70,164	1.26
7.	कृषि वाली बंजर भूमि	1,30,599	2.35
8.	अन्य परती भूमि	25,346	0.46
9.	वर्तमान परती	83,435	1.49
10.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	5,32,087	9.56
11.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	3,55,565	6.39

स्त्रोतः– सांख्यिकी सारांश, हिमाचल प्रदेश 2023–24

<u>जोतों का वितरणः–</u>

जोतों का आकार {हैक्टेयर में}	**श्रेणी {कृषक}**	**जोतों की संख्या {लाखों में}**	**क्षेत्र {लाख हैक्टेयर में}**	**जोत का औसत आकार {हैक्टेयर}**
1.0 से नीचे	सीमांत	7.12 {71.41 प्रतिशत}	2.86 {30.30 प्रतिशत}	0.40
1.0–2.0	छोटा	1.74 {17.45 प्रतिशत}	2.42 {25.63 प्रतिशत}	1.39
2.0–4.0	अर्ध मध्यम	0.82 {8.23 प्रतिशत}	2.23 {23.62 प्रतिशत}	2.72
4.0–10.0	मध्यम	0.28 {2.6 प्रतिशत}	1.46 {15.47 प्रतिशत}	5.62
10.0 से अधिक	बड़ा	0.03 {0.30 प्रतिशत}	0.47 {4.98 प्रतिशत}	15.67
	कुल	**9.97 (100 प्रतिशत)**	**9.44 (100 प्रतिशत)**	**0.95**

स्त्रोतः– वर्ष 2015–16 की कृषि गणना

उपरोक्त निर्दिष्ट तालिका के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में 88.86 प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं। मध्यम और अर्ध–मध्यम कृषक 10.83 प्रतिशत हैं जबकि 0.30 प्रतिशत ही बड़े कृषक हैं। इसके चलते हिमाचल में अधिकतम लघु एवं सीमांत किसान हैं जिनके पास आपरेशनल जोतों का लगभग 55.93 प्रतिशत क्षेत्र है। जबकि राज्य की औसतन जोत 0.95 है0 है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5.47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है ।

प्रदेश की फसल उगाने की सघनता लगभग 175.18 प्रतिशत आंकी गई है। प्रदेश में 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है। इस प्रकार कृषकों को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्ष 2024–25 के दौरान मॉनसून सीजन मे सामान्य से –18% कम व पोस्ट मॉनसून सीजन में –40% सामान्य से कम वर्षा हुई है। वर्ष 2024–25 के दौरान मानसून सीजन में कम वर्षा होने से प्रदेश में फसलों के उत्पादन में कमी आने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त रबी की फसलों मुख्यत गेहूं की पैदावार सामान्य होने की सम्भावना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान खाद्यानों के पैदावार का लक्ष्य 1603.17 हजार टन, सब्जियों का 1870.00 हजार टन, आलू का 195.00 हजार टन तथा अदरक का 34.00 हजार टन रखा गया है।

2.2 खाद व उर्वरकः–

राज्य सरकार द्वारा मिश्रित उर्वरकों एनपीके 12:32:16, एनपीके 10:26:26, एनपीके 15:15:15 पर प्रति मीट्रिक टन 1000/–रू0 के अनुदान की अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुदान योजना तथा गैर–योजना दोनों में दिया जाता है। विभाग {हिमफैड एवं सहकारी समितियों} द्वारा किसानों को मिट्टी जांच के अनुसार उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

उर्वरक एक ऐसी सामग्री है जो उत्पादन बढ़ाने में काफी सीमा तक सहायक है। फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिये उन्नत किस्मों के बीज तथा सन्तुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना आधुनिक कृषि तकनीकी में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में उर्वरकों की खपत का स्तर 1985–1986 में 23,664 मी0 टन था जो अब बढ़कर वर्ष 2024–2025 में 59990 मी0 टन तक पहुंच चुकी है।

वर्षवार प्रस्तावित उपलब्धियों तथा लक्ष्यों की तालिका निम्नलिखित है :–

इकाई (मी0 टन)

वर्ष	नाईट्रोजन	फॉस्फेटिक	पोटाशिक	जोड़
2016–2017	34559	10650	11282	56491
2017–2018	36600	9771	11189	57560
2018–2019	36153	11224	10178	57555
2019–2020	38146	12263	11369	61778
2020–2021	43389	11681	10172	65242
2021–2022	40086	9525	8282	57893
2022–2023	38859	10892	8101	57852
2023–2024	37164	8195	6111	51470
2024–2025	37092	14087	8811	59990

2.3 मिट्टी परीक्षण केन्द्रः–

किसानों को मुफ्त मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा 10 चल मिट्टी प्रयोगशालाओं के अलावा 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनके द्वारा मिट्टी के लगभग 50,000 नमूनों का प्रतिवर्ष विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं।

2.4 अधिक उपज देने वाली किस्में:–

खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाली फसलों के बीजों जैसे मक्की, धान, गेहूं की किस्मों को किसानों में वितरित करने पर अधिक बल दिया गया है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को 50 प्रतिशत कीमत पर कृषकों में वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कृषकों को नवीनतम् तकनीकी जानकारी ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर उपलब्ध करवाईं गई। प्रदेश के कृषकों के लिये केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कृषकों को काफी लाभ मिल रहा है। केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, बीज और रोपण पर उप मिशन, सब्जी विकास योजनायें भी लागू की जिससे कृषकों को काफी लाभ पहुंच रहा है।

2.5 पौध संरक्षण :–

फसलों को बीमारियों तथा कीटों से बचाने हेतु पौध संरक्षण उपायों को अपनाना परम आवश्यक है। प्रत्येक मौसम के दौरान पौध संरक्षण अभियानों का आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार पौध संरक्षण सामग्री खरीदता है। 2018 से, हिमाचल प्रदेश राज्य ने इसके उपयोग को हतोत्साहित करने और राज्य में रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों पर सब्सिडी वापस ले ली है। वर्षवार उपलब्धियां नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	पौध संरक्षण दवाईयों/रसायनों का वितरण {मी0 टन}
2019–20	84.25
2020–21	64.48
2021–22	65.36
2022–23	63.46
2023–24	61.75
2024–25	59.85

अध्याय–3

वाणिज्य फसलें:–

जैसा कि पहले भी दर्शाया गया है कि कृषि विभाग की यह नीति रही है कि किसानों को अधिक से अधिक आय उपलब्ध करवाई जाए। इस सन्दर्भ में नकदी फसलें जैसे बे–मौसमी सब्जियां, सब्जियों के बीज, आलू, अदरक तथा चाय इत्यादि के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है।

3.1 आलू:–

आलू प्रदेश की अति महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है क्योंकि प्रदेश की शीत समशीतोष्ण जलवायु अच्छी किस्म के बीज आदि की पैदावार के लिये अति उत्तम है। इसलिये इस पर विशेष रूप से लाहौल स्पिति में रहने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति काफी सीमा तक निर्भर करती है। प्रदेश का बीज आलू विभिन्न रोगों से मुक्त होने तथा अधिक पैदावार की क्षमता रखने के परिणामस्वरूप इसकी मांग देश के विभिन्न राज्यों में काफी अधिक है। उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने के लिये तथा ग्राहकों को उचित किस्म का बीज उपलब्ध करवाने के प्रयास किये गए। किसानों को समयानुसार तकनीकी जानकारी के अतिरिक्त प्रमाणित बीज भी उपलब्ध करवाया गया।

समीक्षा वर्ष 2024–2025 में आलू उत्पादकों को आलू उत्पादन के अच्छे दाम प्राप्त हुये जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। वर्षवार आलू के उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

आलू उत्पादन :–

वर्ष	पैदावार 000 मी0 टन
2017–2018	198.66
2018–2019	186.80
2019–2020	196.71
2020–2021	196.30
2021–2022	195.15
2022–2023	194.50
2023–2024	195.09
2024–2025	194.01

3.2 सब्जियांः–

प्रदेश की कृषि जलवायु समशीतोष्ण सब्जियों तथा उनके बीजों के उत्पादन के लिये अतिअनुकूल है। ये सब्जियां जैसे कि शिमलामिर्च, टमाटर, मटर, फूलगोभी, शलगम और प्याज आदि हैं। यह सब्जियां प्रदेश में उस समय पैदा होती हैं जबकि उतरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए प्रदेश के उत्पादक अपनी उपज की अच्छी कीमत प्राप्त कर लेते हैं। सब्जियों की पैदावार में वृद्धि लाने के लिये कृषि विभाग ने किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त आवश्यक उत्पादक सामग्री भी उपलब्ध करवाई। वर्ष 2024–2025 में 1862.95 हज़ार टन सब्जियों का उत्पादन हुआ। वर्षवार सब्जी के उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

सब्जी उत्पादन :–

वर्ष	उत्पादन 000 मी0 टन
2017–2018	1691.56
2018–2019	1722.14
2019–2020	1860.67
2020–2021	1867.41
2021–2022	1803.84
2022–2023	1867.41
2023–2024	1849.80
2024–2025	1862.95

सब्जी उत्पादन में वृद्धि लाने के अतिरिक्त सब्जियों के बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण पर और अधिक बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बीजों के उत्पादन हेतु क्षेत्र और फसलों की पहचान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिला सोलन, किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू, मण्डी और बिलासपुर के भागों में पछेती फूलगोभी, बन्दगोभी, मूली, शलजम आदि सब्जी बीज उत्पादन के लिये अनुकूल परिस्थितियां हैं।

3.3 अदरक :–

अदरक प्रदेश की एक और नकदी फसल है। इस फसल की काश्त पहले सिरमौर, सोलन तथा शिमला जिलों तक ही सीमित थी परन्तु अब इसे प्रदेश के अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। अदरक की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि विभाग उत्पादकों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त आवश्यक उत्पादन सामग्री भी उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2024–2025 में 34,711 टन हरे अदरक की पैदावार हुई।

अध्याय–4

राज्य प्रायोजित योजनायेंः–

4.1 मुख्यमन्त्री कृषि संवर्धन योजना

‘विशेषज्ञ समूह’ की सिफारिशों के अनुसार, विभाग के अन्तर्गत चलाई जा रही आठ योजनाओं, जिनका उद्देश्य एक समान है तथा गतिविधियों की पुनरावृति को बचाने के लिए उनका विलय कर वर्ष 2022–23 में एक योजना “मुख्यमन्त्री कृषि संवर्धन योजना” बनाई गई। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 2557.19 लाख़ रूपये इसके अन्तर्गत विभिन्न घटकों पर खर्च किये गये ।

इस योजना के विभिन्न घटक निम्न प्रकार से हैं।

1. समूह आधारित सब्जी उत्पादन योजना
2. आदान आधारित उपदान योजना (बीज, पौध संरक्षण सामग्री व खाद)
3. बीज गुणन श्रृंखला की सुदृढता
4. प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ता

(i) समूह आधारित सब्जी उत्पादन योजना

सामान्य व हरी पतेदार सब्जियां आवश्यक तत्व व विटामिन इत्यादि प्रदान करती हैं तथा मनुष्यों के भोजन व पोषण सुरक्षा का प्रमुख हिस्सा है जो कि **सतत विकास लक्ष्य–2** ‘भुखमरी समाप्ति‘ (ZERO HUNGER) को प्राप्त करने में सहायता करेगा। पूर्व में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत प्रदेश में 87000 हैक्टेयर क्षेत्र सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया, जो कि कुल जोत क्षेत्र का 16% है। जबकि इसमें 1,63,000 हैक्टेयर क्षेत्र तक विस्तार की संभावना है जो कि कुल जोत क्षेत्र का 30% है। अतः प्रदेश में सब्जी उत्पादन के सम्पूर्ण सामर्थ्य का दोहन करने के लिए विभाग द्वारा सब्जी उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश को सम्मिलित करने हेतु “समूह पद्धति” को प्रस्तावित किया गया है। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आर्थिकी स्पर्धात्मक सब्जी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय को बढ़ाना है। ये दृष्टिकोण ग्रामीण युवाओं व कृषक महिलाओं को कृषि व्यवसाय तथा लघु उघोगों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(ii) <u>आदान आधारित उपदान योजना (बीज, पौध संरक्षण सामग्री व खाद)</u>

(क) बीज – बीज एक महत्वपूर्ण बुनियादी आदान है जो फसलों के उत्पादन व उत्पादकता को सुनिश्चित करता है। फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के किसानों को अनाजों, दालों, तिलहन व चारा फसलों के बीजों पर 50% अनुदान जबकि आलू, अदरक व हल्दी के बीज पर 25% अनुदान देकर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया है ।

(ख) खाद – खाद अन्य महत्वपूर्ण आदान हैं जिसका उत्पादन को सुनिश्चित करने में बहुत योगदान है। किसानों को संतुलित खादों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा मिश्रित खादों पर उपदान प्रदान करने के लिए नीति बनाई गई है।

(ग) पौध संरक्षण सामग्री – फसलों में कीटों व बिमारियों के प्रकोप के कारण लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने में रुकावट होती है। पीड़कों की संख्या व बिमारियों को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखकर, क्षति को कमतर करने के लिए उपयुक्त नियन्त्रण उपाय अपनाने होंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत फसलों के बचाव हेतु गैर–रासायनिक विधियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है ।

(iii) <u>बीज गुणन श्रृंखला की सुदृढ़ता</u>

वर्तमान में कुल 464 हेक्टेयर क्षेत्र के 36 विभागीय फार्म हैं। जिसमें से 227 हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र विभिन्न फसलों जैसे धान, माश, सोयाबीन, गेहूं, बीज आलू, राजमाश आदि के अतंर्गत है। इन सरकारी फार्मों पर विभिन्न फसलों के लगभग 17000 क्विंटल आधार बीज का वार्षिक उत्पादन किया जाता है, जो राज्य के प्रगतिशील किसानों द्वारा प्रमाणित बीज के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। बीज वृद्धि एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है तथा बीज श्रृंखला का अभिन्न अंग है, जो राज्य को बीजों के लिए आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित होने में सहायक होगा तथा पड़ोसी राज्यों से बीज खरीद पर निर्भरता को भी कम करेगा।

(iv). प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ता

कृषि विभाग, 11 मृदा परीक्षण 3 उर्वरक परीक्षण और 3 बीज परीक्षण 2 जैव नियंत्रण एक राज्य कीटनाशक परीक्षण और एक जैव उर्वरक उत्पादन व गुणवता नियत्रंण प्रयोगशाला संचालित कर रहा है । मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए कृषि विभाग किसानों को मृदा जांच निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान करने के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशी इत्यादि राज्य में चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, कीट नियंत्रण की गैर–रासायनिक विधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला कांगड़ा और मंडी में दो जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं के द्वारा किसानों के खेतों में बायो एजेंट, जैव कीटनाशकों, ट्रैप्स और ल्योर आदि के प्रयोग का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाता है।

4.2 मुख्यमन्त्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना

सौर बाड़ बन्दी

प्रदेश में बंदरो एवं जंगली जानवरों से फसलों को काफी नुकसान होता है। इसी के बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरम्भ की गई थी, वर्ष 2022–23 से इस योजना को "मुख्यमन्त्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना" के अन्तर्गत समाहित कर इसे "सौर बाड़ बन्दी" कर दिया गया। इसके अन्तर्गत कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सौर ऊर्जा चलित बाड़, इंटरलिंक चेन बाड़, इंटरलिंक चेन सौर ऊर्जा मिश्रित बाड़ व कांटेदार तार बाड़ लगाने हेतु वर्ष 2024–25 से 70 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है। सौर ऊर्जा चलित बाड़, व इंटरलिंक चेन सौर ऊर्जा मिश्रित बाड़ का निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है जबकि इंटरलिंक चेन व कांटेदार तार बाड़ बन्दी की स्थापना लाभार्थी स्वयं विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करता है। इसके अन्तर्गत 955 हैक्टेयर क्षेत्र पर 1102 यूनिट स्थापित कर 1522 किसानों को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 225.10 लाख़ रूपये खर्च किये गये।

4.3 फसल विविधिकरण योजना (जाइका–ओ0डी0ए0):–

जाईका चरण–II भारत सरकार व जापान सरकार द्वारा इस परियोजना का सहमति पत्र वर्ष 26–03–2021 को हस्ताक्षरित किया गया। यह परियोजना प्रदेश के सभी जिलों में जून 2022 से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत 1010.13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। तथा इसे अगले नौ वर्षों 2021 से 2029 तक कार्यान्वित किया जायेगा। परियोजना का संचालन हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डेवेल्पमेंन्ट सोसाईटी कर रही है जिसका गर्वनिंग बोर्ड है तथा इसके अध्यक्ष कृषि मंत्री हैं व एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष सचिव (कृषि) है। इस परियोजना का मुख्यालय हमीरपुर में है। इस चरण में कुल 296 उप–परियोजनाएं तैयार की जाएगी। जाईका परियोजना के अंतर्गत निम्न गतिविधियां हैं– बुनियादी ढ़ांचे का विकास, कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, बाजा़र यार्ड उन्नयन, सब्ज़ियों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र और सोलन और ऊना में प्रशिक्षण केन्द्र। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अंतर्गत 10500.00 लाख़ रूपए खर्च किये गए।

4.4 <u>प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना</u>

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018—19 से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु **"प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना"** आरम्भ की है। सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी जिससे फसलों की लागत को कम किया जा सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत देसी गाय के गोबर व गौमूत्र और कुछ स्थानीय वनस्पतियों के घोल को रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर फसलों में छिड़काव हेतु प्रयोग में लिया जा रहा है । प्रदेश के 9.61 लाख किसान परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इस विधि से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। किसान एवं उपभोक्ता के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अक्तूबर 2022 से नवोन्वेषी स्व–प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए वेवसाइट www.spnfhp.in की शुरूआत की गई है जिसके तहत प्रदेश भर में 31.03.2025 तक कुल 1,95,705 प्राकृतिक खेती किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा जिनमें से वर्ष 2024–25 मे 71,287 किसानों–बागवानों को प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके है। यह प्रमाणीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है और पीजीएस द्वारा स्थापित मानकों को भी पूरा करता है। वर्ष 2024–25 के दौरान 1516 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 49,741 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2018 से 2024–25 तक 9,115 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से

3,06,036 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 2,22,893 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपना लिया है। वर्ष 2024—25 के दौरान 6,287 है0 भूमि को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष 2024—25 में इस योजना पर 1484.75 लाख़ रुपये की राशि खर्च की गई।

4.5 राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम

प्रदेश में कृषि अभियान्त्रिकी को बढ़ावा देने तथा पहाड़ी खेती के मशीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 से एक नई योजना ‘‘राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम’’ लागू की गई है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत चारा कटर, मक्का शैलर, गेहूं थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, टूलकिट, एस. एस. हल, एम.बी. हल, सीड बिन, वाटर टब सरकार द्वारा 40–50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान हैं। वर्ष 2024–25 में इस योजना के तहत 30.62 लाख़ रुपये की राशि खर्च की गई।

4.6 जल से कृषि को बल योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपयुक्त स्थलों पर चैकडैम एवं तालाबों का निर्माण किया जायेगा उनमें एकत्रित जल को किसान व्यक्तिगत लघु उठाऊ सिंचाई योजनाऐं या बहाव सिंचाई योजनाऐं (जैसा अपेक्षित हो) बनाकर सिंचाई के लिए पानी उपयोग कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत–प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 557.74 हैक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर 1959 किसानों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2024–25 में 352.09 लाख़ रुपये खर्च किये गये।

4.7 प्रवाह सिंचाई योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कूहलों के स्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों को सुदृढ करने का कार्य किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत सभी सामुदायिक कार्यों के लिए शत–प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 370.22 लाख़ रुपये खर्च किये गये

तथा 600.55 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई व 1654 किसानों को लाभान्वित किया गया।

4.8 <u>मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना</u>

कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों तथा खेतीहर मज़दूरों के घायल होने अथवा उनकी मृत्यु होने की सूरत में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा **'मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना'** नामक एक योजना आरम्भ की है। इसमें मृत्यु होने पर सहायता के रूप में 3.00 लाख रू0, स्थाई रूप से अपंग होने पर 1.00 लाख रू0 तथा आंशिक स्थाई अपंग होने पर प्रभावित को सहायता के रूप में 10,000 से 40,000 रू0 तक की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 1.80 लाख रूपये खर्च किये गये।

4.9 पोषक अनाज संवर्धन योजना

वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है ताकि पोषक अनाजों, व्यंज़नों व मूल्यवर्धित उत्पादों को विश्वस्तर पर पहचान दी जा सके। इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी कृषि विभाग के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना/ आत्मा/ भारतीय प्राकृतिक किसान पद्धति व राष्ट्रीय सत्त खेती मिशन के तहत संगठित किसान समूहों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया जा रहा है।

प्रदेश में पोषक अनाजों की खेती के तहत क्षेत्र बढानें के लिए इस परियोजना के तहत निम्नलिखित घटक प्रस्तावित हैः–

1. पोषक अनाजों के अनुदान पर बीज़ का वितरण।
2. मिनी किट का वितरण।
3. किसानों को पोषक अनाजों के उत्पादन, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी व उपयोग के तहत <u>प्रशिक्षण/क्षमता</u> निर्माण।
4. पोषक अनाजों के खाद्य उत्सवों का आयोज़न।
5. पोषक अनाजों का फार्म गेट के तहत बिक्री।

योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2024–25 में 84.26 लाख रूपये खर्च किये गये।

अध्याय–5

केन्द्रीय प्रायोजित योजनायेंः–

भारत सरकार द्वारा पारित जो परियोजनायें कार्यान्वित की जाती हैं वह समरूप से सभी राज्यों के लिये एक जैसी थी जबकि विभिन्न राज्यों की आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियां अलग से हैं। भारत सरकार ने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल करने की सहमति दी है। ऐसी तैयार की गई स्कीमों को कार्य योजना में सम्मिलित कर भारत सरकार कार्य योजना पर चर्चा उपरान्त स्वीकृति देती है। स्वीकृत कार्य योजना के लिए भारत सरकार 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है। शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार अपने राज्य योजना बजट से वहन करती है।

5.1 ‘‘आर० के० वी० वाइ०–केफिटेरिया”(केन्द्रीय हिस्सा:राज्य हिस्सा 90:10) निम्न योजनाओं को इसके अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा हैः–

(i) “मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना”
(ii) “राष्ट्रीय सत्त खेती मिशन”
(iii) “परम्परागत कृषि विकास योजना”
(iv) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना”
(v) “कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन”
(vi) “कृषि वानिकी”
(vii) ‘‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना”

(i) “मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना”

कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों के लिए निःशुल्क मिट्टी परीक्षण सुविधा व मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, मिट्टी परीक्षण आधारित सिफारिशें देना तथा“एकीकृत तत्व प्रबन्धन” इत्यादि सुनिश्चित किया जाता है। इस घटक के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 159.04 लाख रूपये खर्च किये गये।

(ii) “राष्ट्रीय सत्‌त खेती मिशन”

प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण के साथ–साथ बारानी क्षेत्रों का विकास प्रदेश में अन्न उत्पादन की बढती हुई मांग को पूरा करने की एक कुंजी है इसके लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014–15 से कृषि उत्पादकता को विशेषतया बारानी क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए “टिकाऊ खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन” आरम्भ किया है। इस अभियान के अंतर्गत बारानी क्षेत्रों का विकास, मूल्यसवर्धन एवं कृषि विकास गतिविधियां, जलवायु प्रबन्धन व टिकाऊ कृषि जैसे उप–कार्यक्रम शामिल हैं। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 155.68 लाख रूपये खर्च किये गये।

(iii) परम्परागत कृषि विकास योजना –

यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय सत्‌त खेती मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में लागू की गई। इसका उद्देश्य भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढाने तथा जलवायु के अनुसार रसायन मुक्त फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना को भारत सरकार के अनुमोदित सेवा प्रदाताओं के द्वारा समूह बनाकर तथा पी० जी० एस० प्रणाली में कृषकों तथा फसलों का जैविक मापदण्डों के अनुसार पंजीकृत करके प्रमाणीकरण किया जा रहा है।

(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

भारत सरकार ने वर्ष 2015 से खेत में पानी की पहुँच का सही उपयोग बढाने के लिए और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के उद्‌देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को आरंभ किया है। इस योजना में प्रति बूंद अधिक फसल का उत्पादन करके ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, ‘हर खेत को पानी’ के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 875.82 लाख़ रूपये खर्च किये गये तथा 392.16 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई व 1129 किसानों को लाभान्वित किया गया।

(v) कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन (SMAM)

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के किसानों को नव विकसित उपकरण,आधुनिक यन्त्र व लिंग अनुकूल उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश अनुसार कृषि यन्त्र/उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, क्रोप रीपर, रोटावेटर इत्यादि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत तथा महिला किसानों को 50% अनुदान पर व अन्य किसानों को 40% अनुदान पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत उपकरण सुविधा केन्द्र (Custom Hiring Centre) भी स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य के किसान जो इन भारी उपकरणों को खरीदने में अक्षम हैं वे नजदीकी क्षेत्र में इन उपकरण केन्द्रों से सेवायें किराये पर ले सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 2268.69 लाख़ रूपये खर्च किये गये।

(vi)"कृषि वानिकी" "हर मेड़ पर पेड़"

कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो वृक्षारोपण, फसल उत्पादन और पशुपालन को इस तरह से एकीकृत करती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत उपयुक्त हो। ग्रामीण परिवारों, विशेषकर छोटे किसानों की उत्पादकता, रोज़गार, आय और आजीविका में सुधार के लिए फसलों और पशुधन के साथ पूरक और एकीकृत तरीके से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित और विस्तारित करने हेतु भारत सरकार द्वारा **"**कृषि वानिकी**"** कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस घटक के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 119.95 लाख़ रूपये खर्च किये गये।

(vii) ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना"

कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिये **"राष्ट्रीय कृषि विकास योजना"** लागू की गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैः– राज्यों को कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना, कृषि कार्यक्रमों की योजना बनाने व लागू करने की प्रक्रिया में राज्यों को छूट देना, कृषि जलवायु, तकनीक व प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जिले व राज्यों की कृषि योजनाओं को बनाना, यह भी सुनिश्चित करना कि ये योजनायें स्थानीय जरूरतों/ फसलों/ प्राथमिकताओं को देखकर बनाई गई हैं, कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों से किसानों की आय को बढ़ाना, इन क्षेत्रों के उत्पादन

तथा उत्पादकता में भरपूर परिवर्तन आदि। इस योजना के कार्यान्वयन के लिये कृषि विश्वविद्यालय व बागवानी विश्वविद्यालय के अलावा कृषि विभाग हि०प्र०, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उद्योग विभाग व बागवानी विभाग हि०प्र० भी शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 827.09 लाख़ रूपये खर्च किये गये।

5.2. कृषोन्नति योजना (केन्द्रीय हिस्सा:राज्य हिस्सा 90:10)

भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिये तथा उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिये कृषोन्नति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न घटकों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(i) "खाद्य एवं पोषण सुरक्षा"

(ii) "राष्ट्रीय बांस मिशन"

(iii) "बीज एवं रोपण सामग्री उप मिशन"

(iv) "कृषि प्रसार उप–मिशन"

(v) "राष्ट्रीय ई–गवर्नैंस प्लान–कृषि (National e-Governance Plan-Agriculture)"

(i) "खाद्य एवं पोषण सुरक्षा"

प्रदेश में धान, मक्की, दालों, गेहूँ और पोषक अनाजों (Nutri-cereals) का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए "खाद्य एवं पोषण सुरक्षा" (पूर्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान) के नाम से कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में धान, गेहूँ, दालों, मक्की व पोषक अनाजों का उत्पादन बढ़ाने हेतू सहायता दी जा रही है। इसमें धान के लिए 2 जिले कांगड़ा व मंडी, गेहूँ के लिए 9 जिले (शिमला, किन्नौर व लाहौल स्पिीति को छोड़कर शामिल हैं। मक्की के लिए 9 जिले (शिमला, किन्नौर व लाहौल को छोड़कर शामिल हैं। इसके अलावा दलहनी फसलों व पोषक अनाजों के लिए सभी जिले शामिल हैं। इसके अन्तर्गत क्लस्टर प्रदर्शन क्षेत्र, मशीनरी, प्रमाणित बीज वितरण, सूक्ष्म तत्व, पौध संरक्षण इत्यादि पर सहायता दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में केंद्र एवं राज्य सरकार से 570.24 लाख़ रूपये प्राप्त हुए जो कि पूर्णतः खर्च किये गये।

(ii) **राष्ट्रीय बांस मिशनः–**

केंद्रीय सरकार की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा 2018–19 में राष्ट्रीय सतत खेती मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बांस मिशन को देश में लागू करने की स्वीकृति दी गई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, संभावित क्षेत्रों में बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों के साथ काम करना, प्राथमिक प्रोसैसिंग इकाइयों की स्थापना करना, बांस और बांस आधारित हस्तशिल्प के विपणन को बढ़ावा देना शामिल है। इस मिशन से कृषि उत्पादकता और आय बढ़ेगी, परिणामस्वरूप छोटे व मध्यम वर्ग के किसानों एवं महिलाओं की आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी और साथ–साथ उद्योगों को भी गुणवत्ता संपन्न सामग्री मिलेगी। इसके साथ–साथ ये मिशन जलवायु को सुदृढ़ बनाने और पर्यावरण संबधी लाभों में भी योगदान करेगा। प्रदेश में कृषि विभाग हि० प्र० को इस मिशन को लागू करने के लिए एंकरिंग विभाग (Anchoring Department) मनोनीत किया गया है और कृषि निदेशक हि०प्र० को राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। कृषि विभाग के अलावा वन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विश्वविद्यालय शामिल है। वर्ष 2024–25 में इसके अन्तर्गत 83.32 लाख रूपये खर्च किये गये।

(iii) **"बीज एवं रोपण सामग्री उप मिशन"**

इस घटक के अन्तर्गत प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कुल 70 प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं तथा किसानों को गेंहूं का बीज वितरण किया गया है। वर्ष 2024–25 में इसके अन्तर्गत 409.29 लाख रूपये खर्च किये गये।

(iv) कृषि प्रसार **उप–मिशन** (NMAET)

कृषि की नवीनतम तकनीक के प्रसार व प्रचार हेतु सभी जिलों में **''आत्मा कार्यक्रम''** शुरु किया गया है। कृषि विभाग के अलावा किसानों से जुड़े दूसरे विभाग जैसे उद्यान, पशुपालन, मत्स्य व कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय भी इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खंड स्तर पर किसान समूह, स्वयं सहायता समूह व किसान संगठन गठित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत हर वर्ष सभी जिलों की कार्य योजनाऐं बनाई जाती हैं तथा कार्य योजनाओं को चलाने के लिये धन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर कृषक सलाहकार समिति बनाई जाती है। उत्कृष्ट किसानों में प्रतिस्पर्धा

बढ़ाने व उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट किसानों को पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में 1415.54 लाख रूपये खर्च किये गये।

(V) राष्ट्रीय इ–गवर्नैंस प्लान–कृषि (डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन):

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान–कृषि (National e-Governance Plan on Agriculture) के कार्यान्वयन हेतु नई योजना शुरु की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 3.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी जोकि 31.03.2025 तक पूर्णतः खर्च की जा चुकी है। इस योजना को राष्ट्रीय इ–गवर्नैंस प्लान–कृषि के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग व हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवेलपमैंट कॉरपोरेशन के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.3. प्रधानमन्त्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना" (पी.एम.कुसुम योजना)

सरकार ने किसानों को आश्वस्त सिंचाई प्रदान करने हेतु विशेषकर दूरस्थ इलाकों में जहां बिजली की निरंतर आपूर्ति न रहे, वहां जल उठाने के लिए प्रधानमन्त्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना" (पी.एम. कुसुम योजना) नामक योजना आरम्भ की है, ताकि फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सौर पम्पों से खेती–सिंचाई के लिए जल उठाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर लघु व सीमान्त वर्ग के किसानों के लिए पंपिंग मशीनरी लगाने हेतु 85 प्रतिशत की सहायता तथा मध्यम व बड़े वर्ग के किसानों के लिए 80 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है। यह योजना प्रदेश में सौर सिंचाई योजना के अभिसरण के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है तथा अनुदान का 50% हिस्सा पी.एम.कुसुम योजना शेष 35% या 30% सौर सिंचाई योजना (राज्य योजना) से एवं 15% या 20% हिस्सा लाभार्थी को स्वयं वहन करना होता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 171.53 लाख़ रुपये व्यय कर 97.00 हैक्टेयर क्षेत्र पर 108 सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर 108 किसानों को लाभान्वित किया गया।

5.4 फसल बीमा योजना

प्रदेश की मुख्य फसलों जैसे गेहूँ, मक्की, धान, जौ को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि आग, आसमानी बिजली, सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जल भराव, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, भू–स्खलन, बादल फटना, कीट व रोगों आदि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना''** में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर किसान कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी व्यवहार के कारण समय पर बुवाई नही कर पाता है तो भी उसे बीमा आवरण मिलेगा। इसके साथ–2 इस योजना में कटाई के उपरांत खेत में सुखाने हेतु रखी फसल यदि 14 दिन के भीतर चक्रवाती बारिश, चक्रवात, ओलावृष्टि व बेमौसमी बारिश के कारण खराब हो जाती है तो क्षतिपूर्ति का आकंलन खेत स्तर पर ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त खरीफ मौसम में चुने हुऐ खंडो मे आलू, टमाटर, अदरक, मटर, बंदगोभी, फूलगोभी, ब्रौकली, शिमलामिर्च की फसलों को **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** में शामिल किया गया है। उसी प्रकार रबी मौसम में लहसुन, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, मटर, बंदगोभी, फूलगोभी की फसलों को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना''** के अन्तर्गत प्रीमियम की दर किसानों के लिए बीमित राशि के अनुसार खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत व रबी मौसम के लिए 1.5 प्रतिशत रखी गई है तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि पर अधिकतम 5 प्रतिशत रखी है। यदि प्रीमियम इस दर से अधिक होता है तो वह केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2023 मौसम से 90:10 के अनुपात में वहन किया गया।

वर्ष 2024—25 में इस योजना पर 39.05 लाख़ रुपये (राज्य हिस्सा) की राशि खर्च की गई।

5.5 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती है। इसमें पशुधन एकीकृत प्राकृतिक खेती पद्धतियाँ और विविध फसल प्रणालियाँ शामिल हैं जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और अधिक जलवायु लचीलापन प्राप्त करने के लिए इनपुट लागत को कम करना है। प्राकृतिक खेती मृदा, जल,

माइक्रोबायोम, पौधों, जानवरों, जलवायु और मानवीय आवश्यकताओं के बीच प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की परस्पर निर्भरता को मान्यता देती है। एनएमएनएफ कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) के तहत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है। एक क्लस्टर का आकार 50 हेक्टेयर है जिसमें प्रति क्लस्टर 125–140 किसान शामिल हैं। यदि एक ग्राम पंचायत में 50 हेक्टेयर का संचयी सन्निहित क्षेत्र नहीं मिल पाता है, तो क्लस्टर को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों (2–3 ग्राम पंचायतों से अधिक नहीं) में बनाया जा सकता है।

इस मिशन में हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 26.61 लाख रुपय व्यय किए गए जिसके अन्तर्गत 379 जागरूकता शिविर तथा 189 ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करके 23767 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

अध्याय–6

अन्य कार्यक्रम

6.1 ''कृषि सूचना'' (100 % केन्द्रीय हिस्सा)

जन संपर्क के माध्यमों से कृषि प्रसार एवं विस्तार हेतु एक अन्य योजना भी शुरु की गई है। इसके अन्तर्गत दूरदर्शन व रेडियो द्वारा कृषि प्रसार करना है। वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित "कृषि दर्शन" कार्यक्रम के अलावा क्षेत्रीय व राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम पर जोर दे रहा है। आकाशवाणी द्वारा एफ. एम. ट्रांसमीटरों से क्षेत्र विशेष हेतु सप्ताह में 6 दिन 30 मिनट के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जा रहे हैं। किसान कॉल सेन्टर के 1800–180–1551 निःशुल्क टेलीफोन नम्बर के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निवारण एवं जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

6.2 गुणवत्ता नियंत्रण

कृषि विभाग 11 मृदा परीक्षण, 3 उर्वरक परीक्षण, 3 बीज परीक्षण, 2 जैव नियंत्रण, एक राज्य कीटनाशक परीक्षण और एक जैव उर्वरक उत्पादन व गुणवता नियत्रंण प्रयोगशाला संचालित कर रहा है। मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए कृषि विभाग किसानों को मृदा जांच निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, किसानों को गुणवतापूर्ण आदान प्रदान करने के लिए, गुणवता नियंत्रण प्रयोगशालाएं जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशी इत्यादि राज्य में चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, कीट नियंत्रण की गैर रसायनिक विधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला कांगड़ा और मंडी में दो जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं कार्यरत है। ये प्रयोगशालाएं किसानों के खेतों में बायो एजेंट, जैव कीटनाशकों, ट्रैप्स और ल्योर आदि के प्रयोग का निःशुल्क प्रदर्शन लगाते है।

6.3 फसल अनुमान सर्वेक्षणः–

गेहूं, जौ, मक्की तथा धान की पैदावार का सही अनुमान लगाने के लिये कृषि सांख्यिकीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 द्वारा फसल कटाई प्रयोगों का सम–सम्भाविक विधि द्वारा आयोजन किया जाता है। यह फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग के फील्ड कानूनगो तथा कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं तथा उनका निरीक्षण कृषि विभाग में कार्यरत सांख्यिकीय सहायकों/तकनीकी सहायकों तथा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार खरीफ 2024 में मक्की तथा चावल पर क्रमशः 1941 तथा 819 एवं रबी 2024–2025 के लिए गन्दम तथा जौ पर क्रमशः 2121 तथा 527 फसल कटाई प्रयोग विश्लेषित किये गए हैं।

अध्याय–7

वित्तीय एव भौतिक उपलब्धियां :–

वर्ष 2024–25 की वार्षिक योजना के तहत योजना एवं गैर योजना व्यय (**केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनायें**) निम्न प्रकार से है :–

वित्तीय उपलब्धियां

(रू0 लाखों में)

क्र0सं0	**मुख्य विकास**	**वर्ष 2024–25 के लिए व्यय**	
		योजना (Development)	**गैर–योजना** (Non-Development)
1.	फसल कृषि क्रॉप हैस्वैन्डरी	22594.20	7175.99
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	1745.43	2505.10
3.	कृषि शोध एवं शिक्षा	–	13283.12
4.	बायोगैस विकास	–	203.22
5.	अन्य	15.67	341.92
6.	पूंजी परिव्यय व सामग्री की खरीद	424.72	4301.97
	कुल जोड़ः–	**24780.02**	**27811.32**

भौतिक उपलब्धियां :–

क्र0सं0	भौतिक	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 संभावित
I	**उत्पादन {000 मि0टन}**			
1.	अनाज	1497.87	1643.55	1543.88
2.	सब्जी	1867.41	1849.80	1862.95
3.	आलू	194.50	195.09	194.01
4.	अदरक उत्पादन {हरा}	32.80	33.15	34.71
II	**सामग्री का वितरण {मीट्रिक टन}**			
1.	उर्वरक {एनपीके}	57,852	51,470	59,990
2.	बीज {अनाज,दलहन और तिलहन}	16,250	15480	15260
3.	पौध संरक्षण सामग्री {मी0ट0}	63.46	61.78	59.85
III	**मृदा और जल संरक्षण उपायों के तहत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र {है0 में}**	3,600	1,373.73	1549.15
IV	**विश्लेषित मिट्टी के नमूनों की संख्या**	42,843	43,124	74,084

हि0 प्र0 में वर्ष 2022–23, 2023–24, व 2024–2025 के दौरान फसलवार/मौसम अनुसार फसल का कुल उत्पादन उपलब्धियां लक्ष्य एवं उपलब्धियां।

ईकाई– {क्षेत्र 000हैक्टेयर में} {उत्पादन 000मीट्रिक टन मे}

क्रम सं0	अनाज	2022–23		2023–24		2024–25	
1.	**खरीफ मौसम**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**संभावित**
1}	मक्की						
	1. क्षेत्र	279.00	255.54	280.00	253.03	272.00	261.10
	2. उत्पादन	741.00	680.65	742.00	607.94	730.00	691.54
2	धान						
	1. क्षेत्र	72.00	67.30	88.16	69.87	73.00	66.44
	2. उत्पादन	143.00	130.05	199.00	172.86	155.00	138.00
3}	रागी						
	1. क्षेत्र	1.95	1.15	1.04	1.02	1.27	1.02
	2. उत्पादन	2.01	1.07	1.07	0.96	1.30	0.90
4}	छोटे आनाज						
	1. क्षेत्र	4.83	2.13	3.84	1.98	4.12	1.98
	2. उत्पादन	4.50	1.33	3.26	1.30	4.00	2.29
5}	दालें {खरीफ}						
	1. क्षेत्र	18.00	15.35	18.00	15.57	18.00	15.57
	2. उत्पादन	16.00	15.32	19.00	15.81	17.50	15.79
	कुल खरीफ						
	1. क्षेत्र	**375.78**	**341.46**	**391.04**	**341.47**	**368.39**	**346.10**
	2. उत्पादन	**906.51**	**828.43**	**964.33**	**798.87**	**907.80**	**848.51**
	रबी मौसम	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**संभावित**
1}	गेहूं						
	1. क्षेत्र	330.00	319.48	324.00	316.84	322.00	322.00
	2. उत्पादन	617.00	614.15	620.00	782.66	628.00	628.00
2}	जौ						
	1. क्षेत्र	19.00	17.25	19.00	16.76	19.00	19.00
	2. उत्पादन	29.00	26.42	30.00	30.72	30.00	30.00
3}	चना						
	1. क्षेत्र	0.36	0.21	0.35	0.20	0.35	0.35
	2. उत्पादन	0.41	0.20	0.37	0.19	0.37	0.37
4}	दालें {रबी}						
	1. क्षेत्र	13.00	13.27	12.60	13.43	12.50	12.50
	2. उत्पादन	41.00	28.68	37.00	31.11	37.00	37.00
	कुल रबी						
	1. क्षेत्र	**362.36**	**350.20**	**355.95**	**347.22**	**353.85**	**353.85**
	2. उत्पादन	**687.41**	**669.44**	**687.37**	**844.68**	**695.37**	**695.37**
	कुल {खरीफ+रबी}						
	1. क्षेत्र	**738.14**	**691.66**	**746.99**	**688.69**	**722.24**	**699.95**
	2. उत्पादन	**1593.92**	**1497.87**	**1651.70**	**1643.55**	**1603.17**	**1543.88**
2.	**वाणिज्यिक फसलें**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**संभावित**
1}	आलू						
	1. क्षेत्र	15.10	15.10	15.00	15.14	15.00	15.00
	2. उत्पादन	195.00	194.50	195.00	195.09	195.00	194.01
2}	सब्जियां						
	1. क्षेत्र	82.00	87.49	87.00	89.88	87.50	90.64
	2. उत्पादन	1850.00	1867.41	1850.00	1849.80	1870.00	1862.95
3}	अदरक {हरा}						
	1. क्षेत्र	3.00	3.04	3.00	3.03	3.00	3.25
	2. उत्पादन	34.00	32.80	34.00	33.15	34.00	34.71
	तिलहन						
4}	1. क्षेत्र	10.55	10.75	10.46	10.20	10.60	10.60
	2. उत्पादन	6.15	8.13	6.50	7.60	7.25	7.25

Department of Agriculture, H.P.